न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर (23)
सर्किट कोर्ट रीवा (म.प्र.)

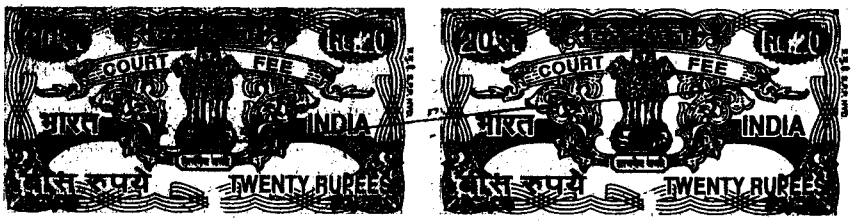

Rs. 401/-

1– श्रीमती ओमती (कचेर) पत्नी रमेश तोमर

2– रमेश तोमर (कचेर) तनय भरत कचेर, निवासी गोविन्दगढ तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

R.553/III/16

..........निगरानीकर्तागण

बनाम

1– शोभनाथ दुबे तनय विशेषर दुबे निवासी घोघर मकान नम्बर 35/108 तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

2– शासन म.प्र.

.......अनावेदक गैरनिगराकार

अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र सिंह
द्वारा प्रस्तुत / 15.12.17

(stamp) राजस्व मण्डल (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार तहसील हुजूर सर्किट कोर्ट गोविन्दगढ जिला रीवा (म.प्र.)
प्रकरण क्र.– 23अ–70/2016–17
आदेश दिनांक 18.11.2016

मान्यवर,

प्रकरण का शूच्म विवरण निम्न हैं :–

1– यह कि निगराकार/आवेदक ग्राम नगर पंचायत गोविन्दगढ़ के आ.नं. 1375 एकड़ 0.632हे. के अंश भाग 20x25-500 वर्गफिट चेक आबादी के भूमि में सैकड़ों वर्ष से अपने पूर्वजों के समय से माकान एवं दुकान स्थापित कर विसातखाना की दुकान स्थापित कर अपने परिवार का भरण–पोषण करता है, तथा इसके पहले निगरानीकर्तागण के पिता व दादा दुकान एवं आवास के रूप में विसातखाना की दुकान करते थे तथा इसी आराजी से लगी आराजी नं. 1374 है जो आबादी भूमि एवं गांवठान है, जिसमें सैकड़ों लोगों के मकान एवं दुकान स्थापित हैं, तथा गैर निगराकार के द्वारा कथित भूमि में कोई भी स्थान नहीं रिक्त है, गैरनिगराकार रीवा शहर के घोघर मोहल्ले

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5531–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–4–2017	उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 18–11–16 को चुनौती देते हुये प्रस्तुत की है। प्रकरण का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि नायब तहसीलदार ने दिनांक 18–11–16 को एकपक्षीय रूप से अनावेदक के आवेदन पर कब्जा हटाने के आदेश दिये हैं। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन आदेश के पश्चात आगामी पेशी दिनांक 23–11–16 को प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 18–11–16 का कियान्वयन भी स्थगित किया है तथा आवेदक के जबाव हेतु पेशी दिनांक 5–12–16 नियत की। इस बीच आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई। नायब तहसीलदार ने आवेदक को सुनने के पश्चात एकपक्षीय आदेश का कियान्वयन रोका दिया है तथा आवेदक के पक्ष तहसील न्यायालय में जबाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। नायब तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। 3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाये। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस. अली) सदस्य	